हैं कि हम खरीदने को तैयार हैं उनके यहां उस फोडर को डम्प करवा दीजिए । और डम्प करने के साथ उनको जून तक लाना है। आखिर में, पीने के पानी के लिए रेलवे से सुविधा दिलाइये वरना लोग और कैटल पीने के पानी के अभाव से मरने की स्थिति में आ जायेंगे और.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mr. Vaghela, this could have been your speech. I allowed you to ask a clarification, only for that purpose did I allow you.

श्री शंकर सिंह वाघेला : अनाज को भी आपने बन्द कर दिया है । तो क्या वहां जो लेबर है उनकी भोजन क्षमता, उनको उचित भोजन देने की बात करेंगे ?

(*Interruptions*)

It is my right to thank the Minister and friends. I initiated the discussion. What is wrong in it ?

श्री जी. एस. ढिल्लों : माननीय सदस्य वाघेला जी ने जो कहा है फोडर के बारे में तो वह पंजाब से आता है और अब भी काफी आयेगा। फोडर के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडि भी रखी गई है, न्यूट्रियन्ट्स भी रखा है । इसके अलावा हम हर स्टेट को सब्सिडी दे रहे हैं कि जो फोडर बनाने का काम-धंधा करेगा उस को और हम देंगे। मोलासेस के लिए हर स्टेट को कहा है कि 10 परसेन्ट उसके लिये रखिये । न्यूट्रियन्ट्स के लिये भी पैसा देंगे। इसलिये फोडर के बारे में आप बिल्कुल तसल्ली रखिये । जो यह नई फोडर सब्सिडी है हमने न्यूट्रियन्ट्स और मोलासेस पर भी सब्सिडी रखी है । तो फोडर के बारे में इन सब बातों को देखते हुए हमारा अपना ख्याल है कि इसमें कोई समस्या आपके सामने नहीं आयेगी ।

जहां तक रेलवे का सवाल है, रेलवे विभाग को तो हमने पहले ही कहा हुआ है । प्रायरिटी दी गई है । इसमें अगर कहीं कमी देखी गई गई है, कोई प्राबलम है, दूसरी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है तो आप बतलाइये, हम रेलवे मिनिस्टर से मिलकर बात करेंगे और कहेंगे कि यह प्राबलम है इसको दूर करिये ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मेरा एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपने पूछ लिया है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आधे मिनट की बात है ... (**व्यवधान**) . . . आप जरा सुनिये । आप समझते क्यों नहीं । एक सवाल पूछना है ।

उपाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपने पूछ लिया ।

Once I have allowed you. You are asking again. No. I will not allow you. Please sit down.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : यह महत्वपूर्ण है, आप समझते क्यों नहीं बात । क्यों नहीं समझते ? आपने उनको टाइम दिया है, मुझे क्यों नहीं देते हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बैठिये ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हम नहीं बैठेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : You have asked once. I have allowed you. Again you are asking.

श्री विठ्ठल राव माधवराव जाधव : उनको तो बोलने दिया हमको ही कहते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Please behave properly.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : I am behaving properly.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Behave properly.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : He gave you a chance.

THE AUTHORISED TRANSLATIONS (CENTRAL LAWS) AMENDMENT BILL, 1987 —*Contd.*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने कल चर्चा में भाग लिया

और स्वतंत्रता के चालीसवें वर्ष में इस ऐतिहासिक विधेयक का सर्वसम्मति से स्वागत और समर्थन किया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं ।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : हम भी आपके आभारी हैं जो आप हिन्दी में बोल रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : हम भी हिन्दी में बोलने पर आपके आभारी हैं ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : उन्होंने अपने भावनात्मक और रचनात्मक सुझावों के जरिये न केवल हमारे मंत्रालय के राजभाषा विभाग की शक्ति बढ़ाई अपितु हमारी राजभाषा के साथ ही साथ हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं का तेजी से विकास करने के लिये मार्गदर्शन और प्रेरणा भी प्रदान की ।

माननीय सदस्य विशेष रूप से डा. कालदाते डा. पान्डेय, यादव जी, मालवीय जी, सत्यनारायण रेड्डी जी, सईदा जी, माननीय मट्टू जी तथा अन्य जो सदस्य चर्चा के दौरान हिन्दी में बोले उनसे मुझे भी आज हिन्दी में बोलने की प्रेरणा मिली । यह विधेयक हमारी राजभाषा का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई विभिन्न भाषाओं को अधिकाधिक महत्व और आदर देने के लिये हमारी सरकार की नीति के अनुसार सही दिशा में एक उपाय है । इस महत्वपूर्ण विधेयक से हमारी राष्ट्रीय उद्यान का हर सुंदर फूल पूरी तरह से विकसित हो सकेगा ।

1963 के अधिनियम में हिन्दी में अधिनियमों आदि के प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था है ।

1973 के अधिनियम में आठवीं अनुसूची में शामिल की गई हिन्दी से भिन्न भाषाओं में प्राधिकृत अनुवाद की व्यवस्था है।

प्रस्तुत विधेयक अन्य सभी भाषाओं में अधिनियम आदि के प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था करने के लिये लाया गया है । वर्तमान में विधि मंत्रालय के विधायी कार्य विभाग में केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी से भिन्न भाषाओं में प्राधिकृत अनुवाद करने की व्यवस्था उपलब्ध है ।

राष्ट्रपति के प्राधिकार से भाषा पाठ को प्राधिकृत करना होगा ।

हिन्दी के विकास के लिये प्रावधान

छठी योजना	5.68 करोड़ रु.
सातवीं योजना	8.85 करोड़ रु.

संस्कृत के विकास के लिये प्रावधान

छठी योजना	8.14 करोड़ रु.
सातवीं योजना	10.75 करोड़ रु.

आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिये प्रावधान

छठी योजना	10.63 करोड़ रु.
सातवीं योजना	11.04 करोड़ रु.

निश्चय ही हमने आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया है ।

योजना स्कीमों के अंतर्गत बंबई, बंगलौर और कलकत्ता में अनुवाद केन्द्र कायम किये गये हैं । एक केन्द्र दिल्ली में पहले से ही कार्य कर रहा है ।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की अनुवाद क्षमता को बढ़ाने के लिए योजना स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव रखा गया है ताकि बकाया अनुवाद कार्य को तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जा सके।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में

मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालयों को छोड़ कर वर्तमान में उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

इस संबंध में राज्य सरकार को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केन्द्र को लिखना पड़ता है।

छोटे न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है।

मूल रूप में हिन्दी में कार्य करने को बढ़ावा देने की दृष्टि से हिन्दी में टिप्पण/प्रारूप लेखन के लिये प्रोत्साहन योजनाएं चालू की गई हैं।

हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी कर दिये हैं कि वे सभी तरह के इलेक्ट्रानिकी उपकरण जिनमें कम्प्यूटर तथा वर्ड प्रोसेसर आदि शामिल हैं, ऐसे ही खरीदें जिनमें हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधा हो। इन अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा कर के स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

मेसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड एक फ्रांसीसी फर्म के सहयोग से द्विवभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर तैयार कर रहा है। हिन्दी के साफ्टवेयर में कुछ कमियों पाई गई हैं और इनके बारे में फर्म द्वारा विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड ने जो कि भारत सरकार की एक कम्पनी है संकेत दिया है कि द्विवभाषी टेलीप्रिन्टर की अगले दो तीन महीने में उपलब्ध होने की संभावना है।

सरल, सुबोध शब्दों के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है। कुछ तकनीकी शब्द हो सकते हैं, जो अपरिचित लगें, किन्तु अभ्यास से ये ही शब्द आसान लगते हैं।

संसद् में जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं उनमें अंग्रेजी पाठ के साथ साथ प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर भी लगा होता है। परन्तु अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में संविधान राजभाषा अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

हमारे देश की विभिन्न भाषाओं को चाहे आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए या न किया जाए इससे उनके विकास को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचती है। सरकार भाषाओं के विकास को हर संभव सहायता दे रही है।

मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह संहमत हूं कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा के लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सब में इच्छा शक्ति ही नहीं अपितु एक राष्ट्रीय संकल्पशक्ति भी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्यों ने जो सक्रिय और निश्चयात्मक रुचि दिखाई है उससे हमारी राष्ट्रीय संकल्पशक्ति और अधिक मजबूत होगी।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डिबेट में इतनी मूल्यवान भूमिका निभायी। मुझे यह भी विश्वास है कि यह विधेयक सदन का सर्वसम्मत अनुमोदन प्राप्त करेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : The question is.

"That the Bill to amend the Authorised Translations (Central Laws) Act, 1973, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाये"

The question was proposed.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal) : I have a very simple point. I think it may be useful for the Minister also.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI) : Speak in Hindi.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : We also have translation (*interruptions*).

SHRI MIRZA IRSHADBAIG (Gujarat) : You speak in Bengali because because the Minister knows Bengali. (*Interruptions*).

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : Whenever we speak, we speak for the entire House but not for the Minister alone (*Interruptions*). He insists that I should speak in Bengali only so that the

[Shri Nirmal Chatterjee]

Minister does not understand anything. That chance I am not going to give (*interruptions*). My submission is very simple. When you make translation you want them to be read by vast majority of our people; otherwise translation is meaningless. Why do you publish? I mean those who are illiterate they are not going to read the material in whichever language you reproduce. So what you should do is that you should allocate your funds in terms of the literacy rate of different languages. That is one point. This cannot be done mechanically. If you divide the total number of literate by each language literates—that is not what should be done. This point should be remembered.

Secondly, you are spending on Hindi which is good for those who speak Hindi. This is not an attempt to introduce Hindi in the country as a substitute to English language. The purpose of this translation is to reach the maximum number of our people. Therefore, this thing should be understood clearly. Therefore, the allocation of your funds for translation in different languages appears to be somewhat distorted. Because as you can see, your translation expenditure is common, it is for one book, say, either in Malyalam or in Hindi. I would love it if you translate it in Nepali language also. But when you try to take up 15 languages, within your limitations, if you try to translate them into 15 languages, then much more than what you are giving at the present should be given for each language and for publication, for the number of volumes to be printed etc. You should take into account the literacy percentage in each area. For instance, Kerala.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Dont give instances.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : This is what I wanted to submit.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमन्, मैंने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि एक तो यह जो अनुवाद होता है, यह सरल भाषा में नहीं होता है और यह अनुवाद समझ में नहीं आता है।

दूसरा, इस विभाग में जो टाईप करने वाले हैं या जो स्टेनो हैं, उनकी संख्या में बड़ी कमी है, और मेरी जानकारी में लाया गया है कि उनकी नई नियुक्ति में रोक लगी हुई है। पिछली मर्तबा राज्य सभा में आश्वासन दिया गया था कि उनकी खाली जगह भरी जायेंगी। तो आपका यह जो विधेयक है इसकी मंशा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि खाली स्थानों की पूर्ति नहीं की जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका हमको उत्तर दे दीजिएगा। मेरा प्रश्न यह था कि जो अनुवाद विभाग है, इसमें बहुत से स्थान खाली पड़े हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष श्री जगेश देसाई : यह तो आप बोल चुके हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इस वजह से अनुवाद के काम में कठिनाई होती है और ठीक तरीके से काम नहीं चलता। यह भी बताया गया है कि नई नियुक्तियों पर रोक लगाई हुई है। तो मेरा निवेदन है कि जब तक रोक खत्म नहीं होगी, इस विभाग का काम सुचारू रूप से नहीं हो पायेगा और आपके विधेयक की मंशा पूरी नहीं होगी।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY : Sir, I have forgotten one point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : You have already spoken on this Bill.

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी : मुझे कुछ कहना है। एक ही सुझाव देना है। वह इसी संबंध में है, जो मैं पहले कहना भूल गया था और वह यह है कि जो अनुवाद हो इसके बारे में मैंने कहा था—तो उसमें सुझाव यह दाना का था कि जो अनुवाद करने की जो भी कमेटी हो या जो भी लोग हों, उनमें सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी जानने वाले ही न हों, बल्कि हिंदुस्तान की दूसरी भाषायें जानने वाले भी हों ताकि अनुवाद उस दृष्टि से सरल, सारी जनता को समझ में आने वाली भाषा में हो। ऐसे लोग अनुवाद करने वालों में हों, यह मेरा सुझाव है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mr. Reddy, you are setting up a very bad precedent. You have already spoken on this Bill.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu) : Sir, the hon. Minister in his reply told that Rs. 6 crores has been allotted for the development of Hindi and nearly Rs. 10 crores for the development of Sanskrit and Rs. 11 crores for the development of nearly 13 languages. I would like to know under what basis this allotment has been done. I think either the Government has taken into account the number of literates or population speaking the regional language. It must be based on a wise principle and not in a random manner. So will this Government come forward to adopt certain norms? (*Interruption*).

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : The only difference between Mr. Aruna and me is that he wants to know the basis and I have suggested it.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Members for the suggestions they have given. This allocation was not within the purview of this Bill but I simply wanted that I should give this information to the hon. Members that the Central Government is trying its best to see that all the languages are developed. This comes under the Human Resource Development Ministry. (*Interruption*).

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM : That is why I said, your allotment for other languages is quite inadequate. That is why, I am exposing that for Hindi, you have allotted Rs. 6 crores and for other 13 languages, you have allotted Rs. 11 crores. It is quite inadequate.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Therefore, you will find that more allocation has been made for the regional languages than for Hindi. That is what I wanted to bring to your kind notice and if you want, I can give the break-up of all the languages.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : It is not necessary.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : To make this translation very simple I must say, I myself was a victim one day when I came from the aeroplane along with one passenger who was with me he asked the taxi driver :

रूस दूतावास में मुझे जाना है।

The driver was completely surprised. He replied :

रूस का दूतावास क्या है?

Then I said, Soviet Embassy.

यह ठीक है, सोवियत एम्बेसी तो हम समझ लेते हैं।

He said, yes. I am very much convinced that we must have very simple translation. As the hon. Members pointed out, we shall rather think in Hindi instead of thinking in English and then translating in Hindi. We have to develop more and more of this kind of things. We have to think in Hindi and other regional languages. All these suggestions will be taken into consideration. The translation should be done in a simple and easily comprehensible language. This is the policy of the Government and we are pursuing it. I have one more point to make, in respect of what Shri Malaviyaji said. Posts for translation etc. in Ministries and Departments have been prescribed, but the ban on creation of posts does hamper in this connection. This is under the consideration of the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE SHIPPING DEVELOPMENT FUND COMMITTEE (ABOLITION) AMENDMENT BILL, 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI) : Sir, this is only a one line Bill.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal) : Not even one line, half a line.